	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	कार्तिक 15, शुक्रवार, शाके 1942–नवम्बर 6, 2020 *Kartika 15, Friday, Saka 1942–November 6, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 02, 2020

संख्या प.35(1)गृह-9/2006 पार्ट :-सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि श्रीगंगानगर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है, जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है। राज्य सरकार को यह संतोष हो गया है कि भारत पाक सीमा के श्रीगंगानगर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक एफ. 17(1)(5)न्याय/2007/18748-18766 दिनांक 14.09.2020 द्वारा लागू किये गये रात्रि कालीन अनिश्चार आदेश (विचरण पर प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 17 (1) (5)न्याय/ 18748-18766 दिनांक 14.09.2020 की अवधि एतद्द्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से
सरवन कुमार,
विशिष्ठ शासन सचिव,
गृह विभाग

6086
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।